न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या : 06/2012

अपीलान्टः– बनाम रेस्पोडेन्ट :–

1. भंवरलाल पुत्र मोहनलाल
जाति–माली, निवासी–निमाज
तह0–जैतारण, जिला–पाली(राज.)

1. बाबूलाल पुत्र मोहनलाल
2. भीकीदेवी पुत्री मोहनलाल
3. पानीदेवी पुत्री मोहनलाल
जातियान–माली,निवासीगण–निमाज
तहसील–जैतारण जिला–पाली
4. सरपंच, ग्राम पंचायत, निमाज
तहसील–जैतारण जिला–पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
विरूद्ध आदेश सरपंच ग्राम पंचायत निमाज नामान्तरकरण संख्या 1009
दिनांक 06/06/2012 तारीख रजू:.12.06.2012

उपस्थितः. 1. श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, अपीलान्ट।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 06/06/2015

वकील मय अपीलान्ट ने एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध रेस्पोडेन्टान् इस आशय की प्रस्तुत की हैं कि सरहद मौजा–निमाज–I, पटवार हल्का–निमाज–I, तहसील–जैतारण में सरपंच ग्राम पंचायत का म्यूटेशन का आदेश कानून व रेकर्ड के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य हैं। संक्षिप्त में तथ्य हैं कि मोहनलाल की पैतृक भूमि मौजा–निमाज–I में खसरा नम्बर 906, 906/1, 909/2043 की आई हुई हैं। मोहनलाल की मृत्यु के बाद इनकी खातेदारी इनके वारिसान के नाम दर्ज की गई। उसी अनुसार म्यूटेशन कर खातेदारी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज की हुई हैं। अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 906 में से अपना हिस्सा रानीदान को बेचा, बकाया, खसरा में अपीलान्ट का हिस्सा बदस्तूर रहा। बरवक्त म्यूटेशन अपीलान्ट का नाम खसरा नम्बर 906 में से हटाकर रानीदान का दर्ज करना था व बकाया खसरा नम्बर अपीलान्ट का नाम बदस्तूर कायम रखना था। परन्तु राजस्व अधिकारियों की गलती से अपीलान्ट का नाम तीनों खसरा से हटा दिया। जबकि अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 906 की भूमि ही बेची गई थी, बकाया खसरा में अपीलान्ट का नाम बदस्तूर रहा था। परन्तु राजस्व अधिकारियों की गलती से अपीलान्ट का ख0नं0 906/1 व 909/2043 में से नाम हटा दिया गया। जबकि उन खसरों में अपीलान्ट का नाम बदस्तूर रहा था। इसलिए जो वादग्रस्त म्यूटेशन भरा गया हैं व म्यूटेशन बेचाननामा के विपरीत भरा गया हैं। जबकि बेचाननामा में खसरा नम्बर 906 में से अपना हिस्सा बेचा गया था। अन्य खसरा में से नहीं बेचा गया था। परन्तु म्यूटेशन में खसरा नम्बर 906 में से अपीलान्ट का नाम हटाना था, परन्तु खसरा नम्बर 906/1 व 909/2043 में से अपीलान्ट के नाम म्यूटेशन में से हटा दिया गया हैं, जो म्यूटेशन का आदेश निरस्त कर पुनः जांच कर म्यूटेशन भरे जाने

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

योग्य हैं। खसरा नम्बर 906/1 व 909/2043 ग्राम-निमाज में अपीलान्ट की खातेदारी निरस्त करने का आदेश निरस्त कर अपीलान्ट का नाम पुनः दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें। अन्य उजरात बर वक्त बहस अर्ज किये जायेगें| इस प्रकार अपीलान्ट ने अपील पेश कर उक्त वादग्रस्त म्यूटेशन निरस्त किये जाने तथा बेचान किये जाने खसरा के अलावा खसरा की खातेदारी बदस्तूर कायम रखी जाने की ईस्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टान् जरिए सम्मनस तलब किये गये। रेस्पो0 संख्या 4 को बावजूद तामिली / सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से भी चावण्डदान बारहठ अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया, सा0मि0 हो।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। पंजीबद्ध दस्तावेजात संख्या 2010000658 दिनांक 20/01/2010 तथा ना0सं0 3565 दिनांक 18/04/2011 का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस वकील अपीलान्ट पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत दस्तावेज पंजीबद्ध दस्तावेजात अनुसार खसरा नम्बर 906 रकबा 37-15 बीघा किस्म बा0अ0 भूमि में से 1/30वां हिस्सा विक्रेता भंवरलाल पुत्र मोहनलाल माली निवासी-निमाज द्वारा क्रेता राणीदान पुत्र मोहनलाल राव निवासी-निमाज को विक्रय किया जाना बखूबी प्रमाणित हैं। अपीलाधीन ना0सं0 3565 दिनांक 18/04/2011 द्वारा बेचान रजिस्ट्री दिनांक 20/01/2010 के उक्त दस्तावेज पंजीबद्ध को उल्लेखित करते हुए विक्रित भूमि के 1/30 हिस्से का ही कॉलम संख्या 8 में अंकन कर 4/30 हिस्सा शेष खातेदारों के नाम बदस्तूर इन्द्राज हैं। जिससे प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार राजस्व अपील में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि नहीं होती हैं। इसलिये प्रस्तुत राजस्व अपील निराधार एवं वास्तविक तथ्यों से परे होने से काबिल खारिज होने से खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

-::आदेश::-

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार निराधार, सारहीन एवं वास्तविक तथ्यों से परे होने से खारिज योग्य होने से खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 06/06/2015 को आयोजित राजस्व लोक अदालत शिविर-अटल सेवा केन्द्र - निमाज पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner